

नीलामी की सूचना एवं शर्तें
कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय सोनभद्र।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक-04.03.2025 के अनुक्रम में जनपद न्यायाधीश सोनभद्र के अन्तर्गत प्रांगण **मुंसफीखण्ड में स्थित फोटो स्टेट की दुकान का स्थान** जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है, की नीलामी वर्ष 2025-26(01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक) के लिये दिनांक-25.03.2025 अपराह्न (समय 1.30 बजे) जनपद न्यायालय सोनभद्र के परिसर में करायी जायेगी। नीलामी में भाग लेने एवं नीलामी सम्बन्धी अन्य जानकारी के लिए नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय सोनभद्र में सम्पर्क किया जा सकता है।

इच्छुक व्यक्तियों को नीलामी की तिथि को पूर्वान्ह 10.00 बजे से 12.00 बजे तक निर्धारित नगद सुरक्षा/जमानत की धनराशि नजारत अनुभाग में जमा करने के उपरान्त ही (डिफॉल्टर व्यक्ति को छोड़कर) खुली बोली आमंत्रण प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होगा तथा उच्चतम बोलीकर्ता की नीलामी स्वीकार होने के चार दिन के अन्दर सुरक्षा धनराशि के अतिरिक्त नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि का 1/4 (प्रथम किस्त के रूप में) भाग जैसा की नीलामी के समय में नीलामी समिति द्वारा आदेशित किया जायेगा। नजारत अनुभाग में यह जमा करना होगा, अन्यथा सुरक्षा/जमानत की धनराशि जब्त करके द्वितीय उच्चतम बोलीकर्ता वाले व्यक्ति को यह अवसर दे दिया जाएगा। उच्चतम नीलामी की धनराशि को शेष 3/4 भाग जमा करने हेतु द्वितीय किस्त के रूप में जुलाई 2025 के प्रथम सप्ताह, तृतीय किस्त अक्टूबर 2025 के प्रथम सप्ताह तथा चतुर्थ किस्त जनवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में सुरक्षा धनराशि समायोजित करते हुए जमा करना होगा। नीलामी स्वीकार हो जाने की दशा में 100.00 रुपया के स्टाम्प पर एग्जिमेन्ट निष्पादित करना होगा। जिसमें निम्नलिखित शर्तें होगी।

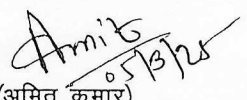
1. यह कि द्वितीय पक्ष नीलामी एवं अपने सामानों की सुरक्षा का स्वयं जिम्मेदार होगी।
2. यह कि द्वितीय पक्ष के ठेके की धनराशि दिनांक 01.04.2025 से प्रारम्भ होगी और दिनांक 31.03.2026 तक रहेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्ष का जिस काम का ठेका होगा वह स्वयं करेगा किसी अन्य को दुकान ठेके पर नहीं देगा।
4. यह कि आवश्यकता अनुसार बोलीकर्ता विद्युत कनेक्शन प्राप्त करके विद्युत का उपभोग एवं पानी की व्यवस्था करेगा।
5. यह कि उपरोक्त शर्तों को यदि द्वितीय पक्ष पालन नहीं करता है तो उसके द्वारा जमानत धनराशि प्रथम पक्ष द्वारा जब्त कर ली जाएगी। तथा ठेका निरस्त होने पर हर्जाना यथास्थिति अवशेष धनराशि की सीमा तक द्वितीय पक्ष से वसूल कर लिया जायेगा।
6. यह कि उपरोक्त ठेके से उत्पन्न सम्पूर्ण विवाद के सन्दर्भ में एक मात्र क्षेत्राधिकार जनपद न्यायाधीश, सोनभद्र को ही होगा।
7. यह कि ठेके की शर्तों का पालन न करने पर एवं हुई हानि की वसूली पब्लिक मनी रिकवरी एक्ट के प्राविधान के अन्तर्गत प्रथम पक्ष के द्वारा वसूली प्रमाण पत्र जारी करके लैण्ड रेवेन्यू की तरह धन वसूल करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
8. यह कि उपरोक्त रूप से प्राप्त ठेके के बावत शर्तों के उल्लंघन की दशा में युक्ति-युक्त सुनवाई के अवसर के अधीन ठेका निरस्तीकरण का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, सोनभद्र को होगा।

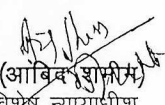
दुकान का विवरण जिनकी नीलामी की जानी है:-

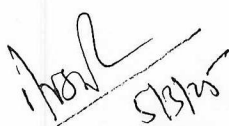
1.	फोटो स्टेट की दुकान का स्थान	मुंसफीखण्ड	5000.00	134000.00
----	------------------------------	------------	---------	-----------

नोट:-

1. जिन ठेकेदारों के नाम काली सूची में हैं वे बोली बोलने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
2. कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के लिए बोली नहीं बोलेंगा।
3. नीलामी की बोली की शर्त मन्जूर होने पर ही कोई ठेकेदार बोली बोलने का अधिकारी होगा।
4. बिना कोई कारण बताए उच्चतम बोलने वाले बोली स्वीकार करने का या अस्वीकार करने का अधिकार जनपद न्यायाधीश सोनभद्र को होगा।
5. दिवालिया घोषित व्यक्ति बोली बोलने का अधिकारी नहीं होगा।
6. विधि अनुसार संविदा करने में सक्षम व्यक्ति ही बोली बोलने का अधिकारी होगा।


(अमित कुमार)
सिविल जज सीनियर डिबीजन
सदस्य
दुकानों की नीलामी समिति
जनपद न्यायालय सोनभद्र


(अनिल कुमार)
विशेष न्यायाधीश
(एस.सी./एस.टी.)
सदस्य
दुकानों की नीलामी समिति
जनपद न्यायालय सोनभद्र


(अमित वीर सिंह)
विशेष न्यायाधीश पोक्सो
अध्यक्ष
दुकानों की नीलामी समिति
जनपद न्यायालय सोनभद्र

प्रतिलिपि:-

1. केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय सोनभद्र।
2. नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायालय सोनभद्र
3. नोटिस बोर्ड मुंसफी खण्ड, जनपद न्यायालय सोनभद्र
4. नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी व तहसीलदार राबर्ट्सगंज सोनभद्र।
5. नोटिस बोर्ड रोडवेज बस स्टैण्ड, राबर्ट्सगंज सोनभद्र
6. स्थानीय समाचार पत्र
7. केन्द्रीय कम्प्यूटर अनुभाग को
8. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय लखनऊ(उ0प्र0)
9. सूचना अधिकारी सोनभद्र को समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशन हेतु।

